UPME010207032025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), मेरठ।

पीठासीन अधिकारी- चन्द्र शेखर मिश्र (एच०जे०एस०)

जे०ओ०कोड-यू०पी० 06292

फौजदारी निगरानी सं०-947/2025

1- जयपाल सिंह पुत्र नत्थवा उर्फ कर्मवीर, निवासी 473/5, जागृति विहार, थाना मेडिकल, जिला मेरठ। .....प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

1- संदीप चौधरी पुत्र सुरेन्द्रपाल सिंह, निवासी बी-310, डिफैन्स एन्क्लेव सरधना रोड, थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ।

2- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार .....विपक्षीगण

निर्णय

1- उपरोक्त निगरानी निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-3, मेरठ द्वारा परिवाद 21755/2023 संदीप चौधरी बनाम जयपाल सिंह में प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.2025 पर पारित आदेश दिनांकित 16.10.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

2- इस मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपरोक्त वर्णित परिवाद में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिनांकित 11.09.2024 के माध्यम से परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143 एन०आई०एक्ट में दिये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए चैक की धनराशि अंकन 3,16,425/- रूपये का 10 प्रतिशत 31,642/- रूपये बतौर अंतरिम प्रतिकर अदा करने का आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त आदेश दिनांक 11.09.2024 को ही वापस लिये जाने के संबंध में निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपरोक्त परिवाद में परिवादी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143 क एन०आई० एक्ट पर दिनांक 11.09.2024 को बिना अभियुक्त को सुने व आपत्ति के एकपक्षीय आदेश पारित हो गये है। अभियुक्त कम पढ़ा लिखा व कानूनी ज्ञान व्यक्ति है। अभियुक्त को एकपक्षीय आदेश दिनांक 11.09.2024 की जानकारी अपने अधिवक्ता के साथ दिनांक 21.02.2025 को न्यायालय में आने पर हुई है। अभियुक्त एक पक्षीय आदेश दिनांक 11.09.2024 से क्षुब्ध है तथा अपनी आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल करना चाहता है। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत दारा 143 क एन०आई०एक्ट पर अभियुक्त को नहीं सुने जाने से अभियुक्त की अपार हानि व बर्बादी होगी और अभियुक्त न्याय से वंचित रह जायेगा। अतः

उपरोक्त कारण व न्याय हेतु एकपक्षीय आदेश दिनांक 11.09.2024 को निरस्त किया जाकर अभियुक्त की आपत्ति पत्रावली पर लिया जाकर पक्षकारों को सुनकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143 क एन०आई०एक्ट को मैरिट पर निर्णीत करने की कृपा करें।

परिवादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध व मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित है। उपरोक्त परिवाद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.09.2024 द्वारा चैक धनराशि अंकन 3,16,425/- रूपये का 10 प्रतिशत धनराशि विपक्षी को उसको अदा करने का आदेश पारित किया। अभियुक्त को आपत्ति दाखिल करने हेतु पर्याप्त अवसर व समय दिया परन्तु अभियुक्त ने परिवाद में देरी करने के उद्देश्य से जानबूझकर आपत्ति दाखिल नहीं की। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.09.2024 को निरस्त/रिकॉल/रेस्टॉर करने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई प्रावधान बताया गया है, इसलिए अभियुक्त का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.04.2025 खण्डित किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पारित आदेश को 90 दिनों से अधिक हो गये है, परन्तु अभी तक अभियुक्त ने आदेश का पालन नहीं किया है। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त का प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.04.2025 सव्यय अधिक से अधिक जुर्माना खण्डित किया जाये।

निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से दिये गये उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 16.10.2025 के माध्यम से निरस्त किये गया है।

3- उपरोक्त आदेश दिनांकित 16.10.2025 से क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी, जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि- अवर न्यायालय का निर्णय व आदेश नियम व तथ्यों के विरुद्ध है। अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अभाव में जो निष्कर्ष निकालने चाहिये थे, को न निकालकर और जो निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिये थे, को निकालकर निर्णय व आदेश पारित करने में त्रुटि की है।अवर न्यायालय में परिवादी का परिवाद पत्र प्रथम दृष्टया सिद्ध नही है परन्तु अवर न्यायालय ने इस ओर ध्यान ना देकर निर्णय व आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। निगरानीकर्ता ने कोई चैक दिनांकित 19.04.2019 का अंकन 3,16,425/- (तीन लाख सौलह हजार चार सौ पच्चीस) रूपये का कीटनाशक दवाइयों के बाबत परिवादी को नहीं दिया है। निगरानीकर्ता कम पढा लिखा व्यक्ति तथा केवल हिन्दी में अपने दस्तख्त करना जानता है परन्तु परिवादी ने जो चैक पत्रावली पर दाखिल किया गया है वो अंग्रेजी में स्वयं अपना नाम व रूपयों की इबारत भरकर अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है परन्तु अवर न्यायालय ने इस ओर ध्यान ना देकर निर्णय व आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की हैं। परिवादी जिन कीटनाशक दवाइयों की धनराशि की एबज में निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा चैक देना बताता है उनका

कोई बिल रसीद पत्रावली पर दाखिल नहीं करता है। जिससे परिवादी की कहानी प्रथम दृष्टव्य झूठी स्पष्ट होती है परन्तु अवर न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं देकर परिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 क एन०आई० एक्ट पर चैक की धनराशि अंकन 3,16,425/- रूपये के 10 प्रतिशत अंकन 31,642/- रूपये परिवादी को निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा अन्तरिम प्रतिकर रूप में अवैधानिक तरीके से देने का आदेश पारित किया है। परिवादी/रैस्पोन्डैन्ट ने जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 क एन०आई०एक्ट का अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया है उसमें अपने परिवाद पत्र की कहानी को सिद्ध करने का प्रयास तक नहीं किया है। बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति खराब चलने के बारे में बताया गया है फिर भी अपर न्यायालय में बिना निगरानीकर्ता/अभियुक्त को आपत्ति व सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय ने अपने मनमाने ढंग से आदेश पारित किया गया है। निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा अवर न्यायालय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील राकेश राजन श्रीवास्तव बनाम दी स्टेट ऑफ झारखण्ड में दी गयी गाईड लाईन हवाला देने पर भी अपने विवेक का पालन नही किया गया है। अवर न्यायालय का निर्णय व आदेश जिसके द्वारा निगरानीकर्ता/अभियुक्त को चैक की धनराशि का 10 प्रतिशत अन्तरिम प्रतिकर परिवादी/रैस्पोण्डैन्ट संख्या 01 को अदा करने के आदेश पारित किये गये पोषणीय नहीं है और खण्डित किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त कारण व न्याय हेतु निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर अवर न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 16.10.2025 जिसके द्वारा एक पक्षीय आदेश दिनांक 11.09.2024 को अपास्त किये जाने हेतु दिया गया है, को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

5- प्रस्तुत मामले में अग्रिम विवेचन किये जाने से पूर्व विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 16.10.2025 के माध्यम से किये गये विवेचन को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा। विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांकित 16.10.2025 के माध्यम से किया गया विवेचन इस प्रकार है कि " सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि वह एक पक्षीय आदेश दिनांक 11.09.2024 से क्षुब्ध है तथा अपनी आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल करना चाहता है। परिवादी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143 क एन०आई०एक्ट पर उसको नहीं सुने जाने से, उसकी अपार हानि व बर्बादी होगी और वह न्याय से वंचित रह जायेगा। अतः उपरोक्त कारण व न्याय हेतु एकपक्षीय आदेश दिनांक 11.09.2024 को निरस्त किया जाकर अभियुक्त की आपत्ति पत्रावली पर लिया जाकर पक्षकारों को सुनकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143 क एन०आई०एक्ट को मैरिट पर निर्णीत करने की कृपा करें। जिस पर परिवादी द्वारा आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि

माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम प्रतिकर प्रार्थना पत्र पर विपक्षी आपत्ति दाखिल करने हेतु पर्याप्त अवसर व समय दिया गया, परन्तु अभियुक्त ने परिवाद में देरी करने के उद्देश्य से जानबूझकर आपत्ति दाखिल नहीं की। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.09.2024 को निरस्त/रिकॉल/रेस्टॉर करने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई प्रावधान बताया है। अतः अभियुक्त का प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.04.2025 सव्यय खण्डित किया जाये। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 11.09.2024 को परिवादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143 क एन०आई०एक्ट न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था तथा चैक धनराशि अंकन 3,16,425/- रूपये का 10 प्रतिशत अंक 31,642/- रूपये बतौर अंतरिम प्रतिकर अदा करने हेतु आदेशित किया गया था। आदेश दिनांकित 11.09.2024 के प्रथम पैरा में पूर्व में उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र 143 क एन०आई०एक्ट पर सुना गया, का अंकन है तथा उपरोक्त आदेश के पैरा 3 में परिवादी के प्रार्थना पत्र 143 क एन०आई०एक्ट पर अभियुक्त को कई बार अवसर प्रदान किया गया लेकिन अभियुक्त द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है परन्तु उनके द्वारा मौखिक बहस की गयी, का अंकन है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143 क एन०आई०एक्ट पर आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा विपक्षी को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था परन्तु अभियुक्त द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी तथा उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143 क एन०आई०एक्ट पर मौखिक बहस की गयी थी। उपरोक्त के अतिरिक्त विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दाण्डिक न्यायालय को अपने आदेश का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.09.2024 को रिकॉल किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।"

6- उभय पक्ष की ओर से रखे गये तर्कों तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन के संदर्भ में मेरे द्वारा पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त निगरानी आदेश दिनांकित 11.09.2024 के विरुद्ध संस्थित नहीं की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143 क एन०आई०एक्ट स्वीकार किया गया था। निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से उस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी संस्थित की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त पारित आदेश दिनांकित 11.04.2024 को रिकॉल करने के संबंध में निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से दिये गये प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है। पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 11.09.2024 के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट तौर पर यह अंकित किया है कि " परिवादी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143 क एन०आई०एक्ट पर अभियुक्त

को कई बार अवसर प्रदान किया गया लेकिन अभियुक्त द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है, परंतु उनके द्वारा मौखिक बहस की गयी।" इस प्रकार स्पष्ट है कि आदेश दिनांकित 11.09.2024 उभयपक्ष को सुनने के पश्चात पारित किया गया है। यदि निगरानीकर्ता/अभियुक्त को उपरोक्त आदेश दिनांकित 11.09.2024 से कोई क्षुब्धता थी तो उसको उपरोक्त आदेश दिनांकित 11.09.2024 के विरुद्ध निगरानी संस्थित करनी चाहिए परंतु निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त आदेश दिनांकित 11.09.2024 उभय पक्ष को सुनकर पारित किया गया है तथा निगरानीकर्ता/अभियुक्त को उपरोक्त आदेश दिनांकित 11.09.2024 के माध्यम से निष्कर्षित किये गये प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है, तब उपरोक्त आदेश को रिकॉल किये जाने का कोई न्यायोचित आधार दृष्टिगत नहीं हो रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 16.10.2025 को पारित करने में किसी प्रकार की अवैधता, अनियमितता या त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः आलोच्य आदेश दिनांकित 16.10.2025 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता दृष्टिगत नहीं हो रही है। अतः प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने के काण खारिज होने तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-3, मेरठ द्वारा द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 16.10.2025 पुष्ट होने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी संख्या 947/2025 जयपाल बनाम संदीप चौधरी आदि खारिज की जाती है तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सं० 3, मेरठ द्वारा परिवाद सं० 21755/2023 संदीप चौधरी बनाम जयपाल सिंह में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 16.10.2025 पुष्ट किया जाता है। इस निर्णय/आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक- 01.08.2026

(चन्द्र शेखर मिश्र)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), मेरठ।

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक- 01.08.2026

(चन्द्र शेखर मिश्र)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), मेरठ।

Digitally signed by CHANDRA SHEKHAR MISRA
Date: 2026.08.05 15:59:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court